मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल - 462004

(9)

क्रमांक एफ 11-27/2016/1/9 भोपाल, दिनांक 9 /11/2020

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त जिला कलेक्टर,

विषय - उद्योग / व्यवसाय से सम्बंधित अधिनियम/नियम/विनियम इत्यादि को अंतिम रूप देने से पूर्व अपनायी जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में।

संदर्भ - इस विभाग का आदेश क्रमांक 11-27/2016/1-9 दिनांक 07 मई 2016।

--00--

राज्य शासन के विभागों द्वारा समय-समय पर नए अधिनियम/नियम/विनियम इत्यादि बनाए जाकर लागू किये जाते हैं अथवा उनमें आवश्यकतानुसार संशोधन जारी किये जाते हैं। सामान्यत: इस प्रकार के अधिनियम/नियम/विनियम को अंतिम रूप देने से पूर्व प्रारूप प्रकाशित कर उन पर सुझाव आमंत्रित किये जाते हैं, तत्पश्चात उन पर विचार करने के उपरांत प्रारूप को लागू करने की कार्यवाही की जाती है।

नए अधिनियम/नियम/विनियम इत्यादि बनाए जाने के संबंध में पारदर्शिता व सुशासन के पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, सभी विभाग निम्नांकित निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें:-

1. नए अधिनियम/नियम/विनियम लागू किये जाने से पूर्व उनका वैधानिक आधार, विभागों द्वारा आवश्यकता एवं नागरिकों/व्यापार/उद्योगों को होने वाले लाभों के बारे में विस्तृत रूप से अपनी विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशित करें।
2. लागू किये जाने से पूर्व नए अधिनियम/नियम/विनियम के प्रारूप को विभागीय वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से प्रकाशित कर, इस सन्दर्भ में स्टेक होल्डर्स से टिप्पणियां/सुझाव आमंत्रित किये जावें।
3. इस प्रकार प्राप्त टिप्पणी/सुझावों पर समुचित विचार करने के बाद ही प्रारूप को अंतिम रूप दिया जावे। यह भी सुनिश्चित किया जावे कि आमंत्रित सुझाव एवं प्रारूप न्यूनतम 30 दिवस तक विभागीय वेबसाइट पर समस्त स्टेक होल्डर्स के अवलोकनार्थ प्रदर्शित किया जावे एवं सुलभता से उपलब्ध रहे।

निरंतर.....

4. विभागीय वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से यह भी प्रदर्शित किया जावे कि स्टेक होल्डर्स से कौन-कौन से सुझाव प्राप्त हुए हैं और अधिनियम/नियम/विनियम को अंतिम रूप देने की दिशा में उन सुझावों पर की गयी कार्यवाही को भी दर्शाया जावे।

समस्त विभागों द्वारा उक्त निर्देशों को पालन कराया जाना कृपया सुनिश्चित किया जावे।

(ललित दाहिमा)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ.क्रमांक एफ 11-27/2016/1/9 भोपाल, दिनांक 9 /11/2020

प्रतिलिपि :-

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
3. प्रमुख सचिव (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
4. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधानसभा, भोपाल।
5. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर।
6. सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल।
7. सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश, इंदौर।
8. विशेष सहायक/निज सचिव, मुख्यमंत्री/मंत्री/राज्यमंत्री, म.प्र. शासन।
9. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश भोपाल।
10. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग/राज्य सूचना आयोग, म.प्र. भोपाल।
11. महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता/अधिवक्ता, म.प्र.जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर।
12. महालेखाकार मध्यप्रदेश ग्वालियर/भोपाल।
13. अध्यक्ष,व्यावसायिक परीक्षा मंडल/माध्यमिक शिक्षा मंडल म.प्र.भोपाल।
14. प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल।
15. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल।
16. अवर सचिव, स्था./अधीक्षण/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी,म.प्र. भोपाल।
17. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति, भोपाल।
18. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन/संघो

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग